P.C.G.

एस.एस. सोधि और एन.के. कपूर, जे.जे समक्ष

शाहनवाज,- याचिका कर्ता

बनाम

पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ और अन्य,

-प्रतिवादी

1990 की सिविल रिट याचिका संख्या 755

2 अप्रैल, 1991.

भारत का संविधान, 1950-आलेख 226-पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेंडर, खंड II- विनियम 4.1, 4.2 और 4.3- व्याख्यानों की उपस्थिति की न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने में विफलता- किसी भी कारण से कमी को माफ नहीं किया जा सकता- रेग 4.3 के तहत, कोई छूट नहीं दी जा सकती – छात्र के पास व्याख्यान की कमी को माफ करने का कोई प्रवर्तनीय अधिकार नहीं है।

निर्धारित किया गया है कि विश्वविद्यालय विनियम व्याख्यानों की कमी में 10 प्रतिशत की सीमा तक अतिरिक्त छूट से परे, किसी भी आधार पर कोई और छूट प्रदान नहीं करता है। तथ्य यह है कि किसी चिकित्सीय बीमारी या यहां तक कि किसी दुर्घटना के कारण, एक छात्र को न्यूनतम निर्धारित व्याख्यान में भाग लेने से रोका जाता है, पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर के विनियमन 4.3 के अनुसार कोई और छूट नहीं दी जा सकती है, खंड II श्रेणीबद्ध है कि एक उम्मीदवार जो व्याख्यान की उपस्थिति की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है, उसे परीक्षा देने से पहले निर्देश के पाठ्यक्रम को दोहराना होगा। व्याख्याताओं की उपस्थिति की न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने में विफल रहने वाले छात्र को अनिवार्य रूप से ऐसा करने में उसकी विफलता से उत्पन्न होने वाले परिणामों का सामना करना पड़ता है। व्याख्यानों की उपस्थिति में कमी को माफ करने का कोई अधिकार, रिट कार्यवाही में प्रवर्तनीय नहीं है, इस प्रकार ऐसे छात्र के लाभ के लिए प्रदान किया जाता है, चाहे जो भी कारण रहा हो जिसके कारण वह अपेक्षित संख्या में व्याख्यानों में भाग नहीं ले पाया या उपस्थित होने में असमर्थ था। इसलिए, विश्वविद्यालय द्वारा छात्र को बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस, जो कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने से रोकना सही है।

(अनुच्छेद 11 और 12)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत में यह याचिका की गई है कि उत्तरदाताओं को निर्देशित करते हुए विशेष रूप से सर्टिओरारी/मैंडेमस की प्रकृति में एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए ::

(i) मामले का पूरा रिकॉर्ड पेश करना;

(ii) याचिकाकर्ता को बी.लाइब्रेरी एंड इनफॉर्मेशन साइंस के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में उपस्थित होने से रोकने के लिए अनुलग्नक पी-9 के रूप में संलग्न प्रतिवादी संख्या 2 के आदेश को रद्द करने के लिए सर्टिओरीरी की रिट जारी करना।

(iii) आगे यह याचिका की गई है कि प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता को प्रथम सेमेस्टर बी.लिब और इनफॉर्मेशन साइंस की शेष परीक्षा में इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान बैठने की अनुमति दें।

(iv) यह माननीय उच्च न्यायालय कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी कर सकता है जो वह मामले की परिस्थितियों के तहत उचित समझे;

(v) कृपया उत्तरदाताओं को अग्रिम सूचना देने और अनुलग्नकों की सत्यापित प्रतियां जमा करने की आवश्यकता से छूट/समाप्त करने का आदेश दिया जाए;

(vi) रिट याचिका की लागत भी याचिकाकर्ता के पक्ष में दी जाए।

कपिल कक्कड़, याचिकाकर्ता के वकील ।
सुमंत बत्रा, प्रतिवादियों की ओर से वकील ।

निर्णय

एस.एस. सोधि, जे.

(1) याचिकाकर्ता शाहनवाज को व्याख्यान की उपस्थिति में कमी के कारण बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल होने से रोकना, यहां रिट कार्यवाही में चुनौती देने की मांग की गई है।

(2) याचिकाकर्ता को 3 अगस्त 1990 को पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज के प्रथम सेमेस्टर पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया था। हालांकि, 16 अगस्त 1990 तक नियमित कक्षाएं शुरू नहीं हुईं। याचिकाकर्ता ने 19 सितंबर, 1990 तक कक्षाओं में भाग लिया, क्योंकि अगले दिन आरक्षण विरोधी आंदोलन के कारण विश्वविद्यालय को बंद करना पड़ा। इसके बाद याचिकाकर्ता ने विश्वविद्यालय छोड़ दिया और चंबा स्थित अपने घर चला गया।

(3) पंजाब विश्वविद्यालय 5 नवंबर 1990 को फिर से खुला, लेकिन याचिकाकर्ता उसके बाद कई दिनों तक वापस नहीं लौटा। 19 नवंबर, 1990 से उन्होंने फिर से कक्षाओं में भाग लेना शुरू कर दिया।

(4) याचिकाकर्ता का मामला यह है कि 28 सितंबर,1990 को चम्बा में रहने के दौरान उसे आग्नेयास्त्र से चोट लग गई, जिसके परिणामस्वरूप उसे 14 नवम्बर, 1990 तक जिला अस्पताल, चम्बा के चिकित्सा अधिकारी के उपचार के अधीन रहना पड़ा। समर्थन में अनुलग्नक पी-3 का संदर्भ दिया जा रहा है, जिसका तात्पर्य संबंधित चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाणपत्र की सच्ची प्रति होना है।

(5) याचिकाकर्ता का कहना है कि चंडीगढ़ वापस आने पर 23 नवंबर 1990 को उन्हें किडनी का दौरा पड़ा, जिसके लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी, हेल्थ सेंटर और बाद में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट, चंडीगढ़ में अपना चेकअप कराया। इस दावे का समर्थन करने के लिए अनुबंध पी 4 इस संस्थान के आउटडोर टिकट की फोटोकॉपी है।

(6) ऐसा कहा जाता है कि 27 नवंबर 1990 को उन्हें फिर से किडनी में दर्द महसूस हुआ और परिणामस्वरूप वे एक बार फिर इलाज के लिए पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट गए और फिर, वहां के डॉक्टरों की सलाह के अनुसार, वे घर चले गए। 1 दिसंबर, 1990 को चंबा के सिविल अस्पताल में उनकी जांच की गई और वह 10 दिसंबर,1990 तक वहां चिकित्सा अधिकारी के उपचार में रहे और उसके बाद "स्वास्थ्य में सुधार" के लिए पांच दिन और बिताए। 17 दिसंबर, 1990 को वह अंततः चंडीगढ़ लौट आए और फिर से व्याख्यान में भाग लेना शुरू कर दिया।

(7) इस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के संदर्भ में, याचिकाकर्ता की चिकित्सा स्थिति पर जोर देते हुए, उनके वकील श्री कपिल कक्कड़ ने उनके व्याख्यानों की उपस्थिति में परिणामी कमी को दूर करने की मांग की। दूसरे शब्दों में, तर्क यह है कि याचिकाकर्ता की चिकित्सीय स्थिति के कारण स्पष्ट रूप से माफी की आवश्यकता है। व्याख्यान में उपस्थिति की आयु, जिससे वह प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने के लिए पात्र हो गया।

(8) रोहित जसवाल बनाम पंजाब विश्वविद्यालय, (1) में इस न्यायालय के फैसले के समर्थन में दबाव डाला गया। वहां मामला याचिकाकर्ता का पाठ्यक्रम के पहले दो हफ्तों के दौरान दिए गए 33 प्रतिशत व्याख्यानों में भाग लेने में विफलता के लिए LLB में प्रवेश रद्द करने से संबंधित था। याचिकाकर्ता के अनुसार, भर्ती होने के बाद वह मोगा स्थित अपने घर चले गए जहां उनकी पीठ में चोट लग गई जिसके कारण उन्हें दो सप्ताह बिस्तर पर बिताने पड़े। वापस आने पर और अपना प्रवेश रद्द होने की जानकारी होने पर, उन्होंने एक चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। विश्वविद्यालय के नियंत्रण बोर्ड ने यह कहते हुए अभ्यावेदन को खारिज कर दिया कि पीठ का दर्द इतनी तीव्रता का नहीं था कि उसे कक्षाओं में भाग लेने से रोका जा सके। यह निर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता के प्रवेश को रद्द करने का आदेश बिना दिमाग लगाए पारित किया गया था क्योंकि याचिकाकर्ता की बीमारी की गंभीरता का पता लगाने के लिए किसी भी डॉक्टर की राय नहीं मांगी गई थी।

(9) यह देखा जाएगा कि रोहित जसवाल के मामले (सुप्रा) में, कि याचिकाकर्ता को पाठ्यक्रम के पहले दो हफ्तों के दौरान दिए गए व्याख्यानों में से कम से कम 33 प्रतिशत भाग लेना चाहिए था, यह केवल विभाग द्वारा जारी निर्देशों द्वारा निर्धारित किया गया था, इसके विपरीत वर्तमान मामला, जहां विश्वविद्यालय विनियमों में व्याख्यान की न्यूनतम संख्या निर्धारित की गई है।

वर्तमान मामला, अन्यथा, तथ्यों पर भी स्पष्ट रूप से भिन्न है। इस प्रकार इस न्यायिक मिसाल का याचिकाकर्ता के लिए कोई फायदा नहीं है।

(10) दूसरी ओर, प्रतिवादी-विश्वविद्यालय का रुख यह है कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज एक पेशेवर पाठ्यक्रम है, जिसमें न केवल अच्छे सैद्धांतिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, बल्कि संपूर्ण व्यावहारिक प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है, जैसा कि स्नातक होने के बाद छात्रों से विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों में काम करने या यहां तक कि प्रमुख बनने के लिए योग्यता की अपेक्षा की जाती है। इसलिए कक्षाओं में उपस्थिति और विषय में आवश्यक विशेषज्ञता के साथ व्यावहारिक जानकारी अत्यंत आवश्यक है। यह है, की इसे ध्यान में रखते हुए की विश्वविद्यालय को उम्मीद थी कि छात्र कम से कम 66 प्रतिशत व्याख्यान में भाग लेंगे। विभागाध्यक्ष को प्रशिक्षण के व्याख्यानों की कमी में 10 प्रतिशत की सीमा तक अतिरिक्त छूट देने का अधिकार दिया गया। इस संबंध में पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर के खंड II के विनियमन 4.1 का संदर्भ दिया गया था, जो किसी भी सेमेस्टर में परीक्षा में बैठने के लिए एक उम्मीदवार के लिए एक आवश्यक पूर्व-आवश्यकता के रूप में बताता है कि उसे सेमेस्टर के दौरान व्याख्यान में कम से कम 66 प्रतिशत भाग लेना होगा। जबकि विनियम 4.2 विभागाध्यक्ष को व्याख्यान की निर्धारित संख्या में 10 प्रतिशत की कमी को माफ करने का अधिकार देता है।

(11) ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि विनियम किसी भी आधार पर कोई और छूट प्रदान नहीं करते हैं। दूसरे शब्दों में, तथ्य यह है कि, किसी चिकित्सीय बीमारी या यहां तक कि किसी दुर्घटना के कारण, एक छात्र को न्यूनतम निर्धारित व्याख्यान में भाग लेने से रोका जाता है, कोई और छूट नहीं दी जा सकती है क्योंकि विनियमन 4.3 स्पष्ट है कि एक उम्मीदवार, जो व्याख्यानों में उपस्थिति की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है उसे परीक्षा देने से पहले निर्देश के पाठ्यक्रम को दोहराना होगा। जैसे कि प्रासंगिक विश्वविद्यालय नियमों के स्पष्ट प्रावधान है, इस निष्कर्ष से नहीं बचा जा सकता है कि व्याख्यान में उपस्थिति की न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने में विफल रहने वाले छात्र को अनिवार्य रूप से ऐसा करने में उसकी विफलता से उत्पन्न होने वाले परिणामों का सामना करना पड़ेगा। व्याख्यानों की उपस्थिति में कमी को माफ करने का कोई अधिकार, रिट कार्यवाही में प्रवर्तनीय नहीं है, इस प्रकार ऐसे छात्र के लाभ को सुनिश्चित करता है, चाहे जो भी कारण रहा हो जिसके कारण वह अपेक्षित संख्या में व्याख्यानों में भाग नहीं ले पाया या उपस्थित होने में असमर्थ था।

(12) वर्तमान मामले में, निर्धारित किया गया है कि याचिकाकर्ता के व्याख्यानों की कमी क्षमा योग्य सीमा से परे है। ऐसा होने पर, वास्तव में, उसे प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने से रोकने के लिए कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है।

(13) मामले का एक और स्पष्ट पहलू, जो प्रतिकूल टिप्पणी को आमंत्रित किए बिना नहीं रह सकता, उस पर भी गौर किया जाना चाहिए। यह याद किया जाएगा कि चूँकि वह कमज़ोरी महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने "स्वास्थ्य में सुधार के लिए" 10 दिसंबर, 1990 के बाद घर पर और पाँच दिन बिताए। हालाँकि, यह पता चलता है कि इस अवधि के दौरान, उन्होंने वास्तव में, सरकारी कॉलेज, चंबा में नियुक्ति ले ली थी। जब यह बात उनके विभाग के अध्यक्ष के संज्ञान में आई, तो उन्हें 16 फरवरी, 1991 को एक पत्र अनुलग्नक आर-5 भेजा गया,

जिसमें उनसे शपथ पत्र पर यह बताने के लिए कहा गया कि वह किसी सेवा में शामिल हुए हैं या नहीं। याचिकाकर्ता द्वारा इसका कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके बाद एक और पत्र अनुलग्नक आर-6 यही आशय के साथ उन्हें 19 फरवरी, 1991 को भेजा गया था। याचिकाकर्ता ने इस पत्र को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, हालांकि, उसी दिन उन्होंने अध्यक्ष को पत्र अनुलग्नक आर-7 जमा कर दिया। यह ध्यान रखना उचित है कि इसमें उनके रोजगार ग्रहण करने के संबंध में उनसे की गई पूछताछ का कोई संदर्भ नहीं है। याचिकाकर्ता की ओर से ऐसा आचरण सच्चाई और स्पष्टवादिता के प्रति कम सम्मान दर्शाता है।

(14) इस मामले से निपटने के दौरान, उस प्रवेश का भी संदर्भ दिया जा सकता है जहां याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए वचन की शर्तों में से एक इस आशय की थी कि पाठ्यक्रम के दौरान वह किसी भी सेवा में शामिल नहीं होगा या कोई अन्य पाठ्यक्रम का अध्ययन नहीं करते हैं । इस उपक्रम का उल्लंघन भी बहुत बड़ा है।

(15) याचिकाकर्ता को दावा की गई राहत देने के लिए यहां कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। तदनुसार, यह रिट याचिका खारिज की जाती है और, याचिकाकर्ता के आचरण को ध्यान में रखते हुए, उस पर लागत के रूप में हम रु. 500 का जुर्माना भी लगाते हैं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रमनीक कौर
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
फ़रीदाबाद, हरियाणा